आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	173/24 (वाद सं.) आदेश	
24/1/25	थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन ज्ञापांक (1496/2024) 30-11-2024 का अवलोकन करने से यह प्रतीत हुआ कि अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना है। अत: संतुष्ट होकर दिनांक 18-12-24 को प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया - मौजा - पुरनानगर, थाना - बिरनी खाता न. 43, प्लॉट न. 134, रकबा - 11. डी०, चौहद्दी - उ० प्लॉट न. 135 द. - रास्ता, पू. मोहम्मद साई का जमीन, प. सुखदेव साव नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। प्रथम पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु थाना प्रभारी बिरनी के समक्ष दिए प्रारंभिक आवेदन के अतिरिक्त कोई कारण - पृच्छा अथवा राजस्व संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया। दुसरी ओर द्वितीय पक्ष ने	

...देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	लिखित वाद पृच्छा तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया। प्रथम पक्ष के आवेदन तथा द्वितीय पक्ष के वाद-पृच्छा, राजस्व संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य के अध्ययन अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्ष अलग अलग विक्रयपत्र (sale deed) के सहारे विवादग्रस्त भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न भू-विवाद हक-हकीयत अर्थात स्वत्व (Title) से संबंधित है। हक-हकीयत पर निर्णय या विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। प्रथम पक्ष यदि चाहें तो वाद के निपटारे हेतु व्यवहार न्यायालय में appropriate Suit दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लिखवाया एवं संशोधित Sd/- 27/1/25 अनुमंडल दं०डा० बगोदर-सरिया Sd/- 27/1/25 अनुमंडल दं०डा० बगोदर-सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.05.27 10:52:20 +05:30
Location: 192.168.1.6